पत्रांक–योजना बजट–25 / 2012 / प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–......./10/2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–1 एवं 2 तथा संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अधिनस्थ अवस्थित विभिन्न विश्रामागार / परिसर / कार्यालय–सह–आवास की चहारदीवारी एवं नर्सरी / केज इत्यादि के निर्माण हेतु भवन योजना अन्तर्गत कुल ₹160.45 लाख (एक करोड़ साठ लाख पैंतालीस हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2016–17 में वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–1 एवं 2 तथा संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अधिनस्थ अवस्थित (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न कार्य योजनाओं के अनुरूप) विभिन्न विश्रामागार / परिसर / कार्यालय–सह–आवास की चहारदीवारी एवं नर्सरी / केज इत्यादि के निर्माण हेतु भवन योजना अन्तर्गत कुल ₹160.45 लाख (एक करोड़ साठ लाख पैंतालीस हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–070–संचार तथा भवन, मांग संख्या–19 उप शीर्ष–01 02–भवन, विपत्र कोड–पी4406010700102 के विषय शीर्ष–27 01–लघु कार्य में उपलब्ध उपबंधित राशि से की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल बंतिया–1 एवं 2 तथा निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होगें। राशि निकासी उनके संबंद्ध कोषागार / उप कोषागर की से की जायेगी।

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–4867 दिनांक–30.08.2016 एवं पत्रांक–5251 दिनांक–16.09.2016 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा इस योजना के स्वीकृति की अनुशंसा एवं सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति तथा प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

5. प्रस्ताव में संचिका के पृ०–73 / टि० पर दिनांक–04.10.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति एवं प्रारूप में संचिका के पृ०–74 / टि० पर दिनांक–06.10.2014 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

1

6. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता म उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहर, पटना द्वारा किया जायेगा।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसकी जिम्मेवारी इस कार्य के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की होगी।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–25/2012 3054 /प०व० पटना–15, दिनांक–06/10/2016

<u>प्रतिलिपि :–</u> (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	कार्य स्थल	वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्राक्कलित राशि
1	बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-1	मानपुर वन विश्रामागार में किचन-सह-डाईनिंग सेड (कारिडोर के साथ) का निर्माण।	1332000.00
2		मंगुराहा प्रक्षेत्र के ठोरी परिसर में पेयजल आपुर्ति।	350000.00
3		गोवर्द्धना में भिजिटर्स प्रसाधन परिसर में curtain wall का निर्माण।	181300.00
4		मंगुराहा में visitors प्रसाधन परिसर में curtain wall का निर्माण।	136000.00
5		मानपुर वनपाल परिसर में चहारदीवारी का निर्माण।	2230400.00
6	बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-2	मदनपुर वन विश्रामागार में किचन-सह-स्टोर का निर्माण।	1367000.00
7		बाल्मीकि नगर प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय-सह-आवास चहारदीवारी का निर्माण।	1427000.00
8	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।	Renovation of overhead water tower tank	1689700.00
9		Construction of Aviary external drain	731200.00
0		Construction of Husk Room beside Giraffe Cage	408000.00
1		Construction of Emu Nursery	441100.00
12		Construction of drain near Nocturnal House	283000.00
13		Construction of 10 HP Boring near Water Tower	793000.00
14		Renovation of Construction of Bird Cage no. 26	1201600.00
15		Proposed construction of Garraige	874300.00
		Bufurcation of wall & moat in Manipuri Deer cage	565000.00
		Renovation of Construction of Bird Cage no. 25	372400.00
	अररिया	कुशियार गॉव बायोडायभरसिटी पार्क के अग्र भाग में 300 मीटर चहारदीवारी का निर्माण कार्य।	1662180.00
		योग:-	**16045180.00**
		या	**16045000.00**

(एक करोड़ साठ लाख पैंतालिस हजार रूपये) मात्र

उपरोक्त क्रमांक 1-17 की योजनाएँ स्वीकृत की जा सकती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक
बिहार, पटना

6/10/16
उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना